सिफारिशों का सार

पंजीकरण एवं छूट के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.1 से 2.53)

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सक्षम प्राधिकारियों डीजीआईटी-ई/सीसीआईटी/सीआईटी/डीआईटी-ई ने सभी अपेक्षित दस्तावेजों की जाँच कर ली है जैसा कि पंजीकरण के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट है, विद्यमान तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
2. मंत्रालय प्रपत्र संख्या 10ए में प्रविष्टि बॉक्स (पैन सं.) एवं पंजीकरण के लिए पैन को एक पूर्वापेक्षा बनाते हुए आयकर नियमावली के नियम 17ए में उचित परिवर्तन करने पर भी विचार करें ।
3. मंत्रालय एओज एवं अनुमोदन प्राधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एओज को पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं का उपयुक्त डाटावेस उपलब्ध कराने पर विचार करे। निर्धारिती की तरफ से इसके उद्देश्यों एवं चूकों के कार्यक्षेत्र से परे गतिविधियों की सूचना एओ द्वारा अनुमोदन प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए ताकि गलती करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध प्रत्याहार अथवा शास्ति लगाई जा सके।
4. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सक्षम प्राधिकारी धारा10 (23सी), 12ए एवं 80जी के तहत आदेश पारित करने के लिए समय सीमा का पालन करते हैं अन्यथा अपात्र न्यासों को छूट के अनुमोदन से बचने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किये जा सकते हैं।

निर्धारण के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.1से 3.79)

5 मंत्रालय एक तंत्र विकसित करे ताकि सभी मामलों में सभी निर्धारणों को कवर करने के लिए चाहे सार/संवीक्षा में अथवा ऐसे संचयो को एक निश्चित सीमा तक रोकने के लिए अधिनियम में संशोधन लाकर प्रपत्र 10 की निरन्तर कड़ी निगरानी करके न्यासों को ऐसे संचयो की लगातार अनुमति न दी जाए।

6 मंत्रालय एक समयावधि के बाद संचित निधि के उपयोग अथवा इस पर कर लगाना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्तरदायित्वों के साथ एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र निर्धारित करे ।

7 मंत्रालय सभी मामलों में अनाधिकृत तरीकों से निवेश को रोकने के लिए एओज को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रभावशाली निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है।

8 मंत्रालय अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलें में अधिनियम की धारा 12ए/10(23सी) के तहत छूटों के प्रत्याहार/पंजीकरण/अनुमोदनों के निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई आरंभ करे ।

संचयों एंव विदेशी योगदान के संदर्भ में

(पैराग्राफ 4.1से 4.27)

9 आईटीडी को न्यासों द्वारा आय के उन संचयों की निगरानी करनी चाहिए जो निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट समय में एवं निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हो रहें हैं। संचयो की देख-रेख के लिए निर्धारित रजिस्टरों का सख्ती से अनुरक्षण एवं अद्यतन किया जाना चाहिए एवं यह डाटाबेस कम्प्यूट्रीकृत भी होना चाहिए तथा निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय एओज़ को उपलब्ध होना चाहिए।

10 आईटीडी सुनिश्चित करे कि प्रपत्र 10 के आधार पर धारा 11(2) के अन्तर्गत छूटें प्रदान करने से पहले सभी निर्धारित शर्ते पूरी हैं जो निर्धारिती द्वारा रिटर्न भरने से पहले पूरी करनी आवश्यक हैं।

11 आईटीडी सुनिश्चित करे कि सीबीडीटी द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार एफसी के मामले जांच के लिए चयनित किये गए हैं।

अधिनियम में विसंगतियों के संदर्भ में

(पैराग्राफ 5.1 से 5.43)

12 मंत्रालय मूल्यह्रास, घाटे एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के प्रशोधन को सरल करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करे ।

13 मंत्रालय दानकर्ताओ के लेखाओं में दान/संव्यवहारों का उपयुक्त लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा मामलों के दौरान धारा 80जी के अंतर्गत प्राप्त बड़े दानों की सूचना की जाँच के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करे।

14 मंत्रालय धारा 10 (23सी) कें प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए " व्यापकतया वित्तपोषित " शब्द के लिए उपयुक्त परिभाषा बनाए ।

15 मंत्रालय न्यासों द्वारा टीडीएस के प्रावधानों के अनुसार प्रावधानों में उपयुक्त आशोधन लाने पर विचार करे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपयुक्त उद्घोषणाओं के लिए प्रावधान बनाए जाएँ ।

16 मंत्रालय न्यासों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र में उपयुक्त परिवर्तन लाने पर विचार करे ।

संसाधन उपयोग के संदर्भ में

(पैराग्राफ 6.1 से 6.27)

17. मंत्रालय पंजीकरण एवं निर्धारण के वितरण, पैन के जुड़ाव के साथ न्यासों का एक व्यापक डाटाबेस बनाए। मंत्रालय न्यासों के रिटर्न की अनिवार्य इलैक्ट्रानिक फाइलिंग बनाने पर भी विचार कर सकता है।